न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 60/2022

दायर दिनांकः 25.11.2022

निर्णय दिनांक 06.04.2026

—: अनवान :—

1. विष्णुदास पिता भगवानदास जी जाति वैष्णव आयु 50 वर्ष निवासी पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द
2. बंशीदास पिता केलीदास जी जाति वैष्णव आयु 50 वर्ष निवासी पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द
3. बालुदास पिता चुन्नीदास जी जाति वैष्णव आयु 40 वर्ष निवासी पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द
4. किशनदास पिता मोहनदास जी जाति वैष्णव आयु 50 वर्ष निवासी पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द

— **निगराकार/प्रार्थीगण**

बनाम

1. ग्राम पंचायत पीपरडा तहसील व जिला राजसमंद जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द
2. लच्छीराम पिता मोडा जी जाति दर्जी आयु वयस्क निवासी पीपरडा तहसील व जिला राजसमंद
3. बद्रीलाल पिता लक्ष्मणदास जी जाति वैष्णव आयु 45 वर्ष निवासी पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द

— **गैर निगराकारगण**

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानी विरूद्ध आदेश/पट्टा ग्राम पंचायत पीपरडा दिनांक 24.09.1989 क्र सं 4465

उपस्थित :—

1. श्री शेषमल गाडरी, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2. श्री अमित सरूपरिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3. श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03
4. अप्रार्थी/गैर निगराकारगण संख्या 1 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम ग्राम पंचायत पीपरडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 4465 दिनांक 24.09.1989 से व्यथित होकर निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत पीपरडा द्वारा राजस्व ग्राम पीपरडा पटवार हल्का पीपरडा तहसील व जिला राजसमन्द में आराजी नम्बर 916 व 1946 जो कि चारभुजा मन्दिर पीपरडा की डोली की जमीन है। उक्त डोली की जमीन के सामने पश्चिम की तरफ आराजी नम्बर 941 जो कि पीपरडा फरारा रोड के पूर्व दिशा में स्थित है। उपरोक्त भूमि पर विपक्षी संख्या दो के पक्ष में निम्न पडौसो के मध्य एक पट्टा कमांक 4465 बीस सुत्रीय कार्यक्रम के तहत दिनांक 24.09.1989 को जारी करना बताया है। जिसके पडौस निम्न प्रकार है :– पूर्वः पडत भूमि नाप 30 फीट, पश्चिमः फरारा रोड 50 फीट छोड कर नाप 30 फीट, उत्तर : रास्ता, नाप 45 फीट, दक्षिणः दौलतसिंह का प्लोट नाप 45 फीट कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट हैं। उक्त भुखण्ड को ग्राम पंचायत पीपरडा द्वारा 20 संकल्प योजना के तहत विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी किया गया निगरानी पेश की जा रही है। जिसे निरस्त कराने के लिए यह निगरानी पेश की जा रही हैं। राजस्व ग्राम पीपरडा ग्राम पंचायत पीपरडा की आराजी संख्या 1941 की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होकर रास्ते और सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में ली जाती है और उक्त भूमि मन्दिर चारभुजा पीपरडा की डोली की भूमि के सामने स्थित है व निगराकार चारभुजा मन्दिर पीपरडा की सेवा पुजा करते है व डोली की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं डोली की भूमि के सामने पडी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग निगराकार एवं उनके परिवार वाले रास्ते के रूप में एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए करते आ रहे है। गैर निगराकार विपक्षी संख्या दो का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा आधिपत्य नहीं था न ही उक्त पट्टे वाली भूमि पर कभी आया न ही गैर निगराकार संख्या दो ने पट्टे की शर्त संख्या 8 के अनुसार उक्त पट्टा जारी होने के दो वर्ष की अवधि के अंदर अंदर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ही किया है। गैर निगराकार संख्या एक ग्राम पंचायत पीपरडा द्वारा गैर निगराकार संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी कर रखा हो इसकी जानकारी निगराकार को नहीं है न ही ऐसे किसी पट्टे के आधार पर गैर निगराकार संख्या दो कभी मौके पर आया न ही कोई निर्माण कार्य किया न ही पट्टे की भूमि का विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो को कब्जा ही सिपूर्द किया है। गैर निगराकार /विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जो पट्टा जारी किया उसकी शर्त संख्या तीन के अनुसार आवंटित भूमि के हस्तान्तरण का अधिकार आवंटी को नहीं होगा एवं भूमि उसके स्वंय के स्वामित्व में ही रहने के आधार पर आवंटित की गई लेकिन आवंटी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गैर निगराकार/विपक्षी संख्या दो द्वारा उक्त महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन करते हुऐ उक्त भुखण्ड को गैर निगराकार/विपक्षी संख्या तीन को विक्रय कर दिया है जिस कारण से भी उक्त पट्टा निरस्त होकर अपास्त होने योग्य है। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या एक द्वारा गैर निगराकार संख्या दो को सार्वजनिक उपयोग एवं आम रास्ते की भूमि का जो पट्टा जारी किया है वह प्रारम्भ से ही विधि के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरित है एवं तत्पश्चात् भी गैर निगराकार संख्या दो द्वारा तथाकथित जारी पट्टे की शर्त संख्या 03 एवं शर्त संख्या 08 की पालना नहीं किये जाने से उक्त तथाकथित जारी पट्टा स्वतः ही निरस्त होने योग्य है इसलिए उक्त पट्टा को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या एक द्वारा गैरनिगराकार संख्या दो के पक्ष में जारी किया गया पट्टा दिनांक 24.09.1989 क्रमांक 4465 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित सरूपरिया द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया। किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 के बावजूद सूचना के नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 10.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा ग्राम पंचायत पीपरडा से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह कथन किया कि राजस्व ग्राम पीपरडा ग्राम पंचायत पीपरडा की आराजी संख्या 1941 की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होकर रास्ते और सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में ली जाती है और उक्त भूमि मन्दिर चारभुजा पीपरडा की डोली की भूमि के सामने स्थित है व निगराकार चारभुजा मन्दिर पीपरडा की सेवा पुजा करते है व डोली की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं डोली की भूमि के सामने पडी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग निगराकार एवं उनके परिवार वाले रास्ते

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के रूप में एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए करते आ रहे है। गैर निगराकार विपक्षी संख्या दो का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा आधिपत्य नहीं था न ही उक्त पट्टे वाली भूमि पर कभी आया न ही गैर निगराकार संख्या दो ने पट्टे की शर्त संख्या 8 के अनुसार उक्त पट्टा जारी होने के दो वर्ष की अवधि के अंदर अंदर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ही किया है। गैर निगराकार /विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जो पट्टा जारी किया उसकी शर्त संख्या तीन के अनुसार आवंटित भूमि के हस्तान्तरण का अधिकार आवंटी को नहीं होगा एवं भूमि उसके स्वंय के स्वामित्व में ही रहने के आधार पर आवंटित की गई लेकिन आवंटी गैर निगराकार /विपक्षी संख्या दो द्वारा उक्त महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन करते हुऐ उक्त भुखण्ड को गैर निगराकार/ विपक्षी संख्या तीन को विक्रय कर दिया है जिस कारण से भी उक्त पट्टा निरस्त होकर अपास्त होने योग्य है। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या एक द्वारा गैर निगराकार संख्या दो को सार्वजनिक उपयोग एवं आम रास्ते की भूमि का जो पट्टा जारी किया है वह प्रारम्भ से ही विधि के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरित है एवं तत्पश्चात् भी गैर निगराकार संख्या दो द्वारा तथाकथित जारी पट्टे की शर्त संख्या 03 एवं शर्त संख्या 08 की पालना नहीं किये जाने से उक्त तथाकथित जारी पट्टा स्वतः ही निरस्त होने योग्य है इसलिए उक्त पट्टा को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या एक द्वारा गैरनिगराकार संख्या दो के पक्ष में जारी किया गया पट्टा दिनांक 24.09.1989 क्रमांक 4465 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा अपनी बहस में यह कथन किया कि निगराकार चारभुजा जी का पुजारी नहीं है सम्पत्ति रास्ते के रूप में उपयोग करने का विवरण गलत है। पट्टा प्राप्त करते ही विपक्षी संख्या दो ने कच्चा केलुपोश कमरे का निर्माण कराया तथा सपरिवार निवास किया तथा अपने मवेशी भी बांधता है। कमरे पुराने होकर मिसमार होने के कारण विपक्षी ने दूरस्त करवा कमरो को रिपेयरिंग करा पक्का मकान बनवाया। आवंटी को पैसों की आवश्यकता थी। इस कारण से उसने उक्त मकान को विक्रय किया हैं। प्रार्थीगण उक्त सम्पत्ति को जबरन लेना चाहते हैं और द्वेषवश यह मुकदमा पेश किया। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार का प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकर की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह प्रकरण ग्राम पंचायत पीपरड़ा द्वारा श्री लच्छीराम पिता श्री मोड़ा जाति दर्जी के पक्ष में जारी किए गए पट्टा दिनांक 24.09.1982 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। यह पट्टा बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत

ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, कारीगर, लघु सीमांत कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन के रूप में दिया गया था।

इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 2 श्री लच्छीराम पिता मोड़ा जो कि आवंटी है, न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 10.02.2026 को दिए गए। तथा रेस्पोंडेंट संख्या 3 श्री बद्रीलाल पिता लक्ष्मण दास जी जाति वैष्णव द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि रेस्पोंडेंट संख्या 2 श्री लच्छीराम द्वारा यह भूखंड रेस्पोंडेंट संख्या 3 को विक्रय कर दिया गया है। आवंटी को जो पट्टा दिया गया था, उसमें शर्त संख्या 03 स्पष्ट रूप से अंकित थी कि आवंटित भूमि के हस्तांतरण का कोई भी अधिकार आवंटी को नहीं होगा। यह उसके स्वयं के स्वामित्व में रहेगी। साथ ही शर्त संख्या 8 में यह भी लिखा गया था कि इस भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अंदर मकान या झोपड़ा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा। यदि इस अवधि में यह कार्य नहीं किया जाता तो भूखंड वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा। विशेष कारणवश आवंटन अधिकारी दो वर्ष से अधिक समय की वृद्धि भी कर सकता है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की तथा उसका अवलोकन किया। तो इस पत्रावली में मात्र दो कागज अर्थात दो दस्तावेज पाए गए। एक प्रार्थी श्री लच्छीराम द्वारा परिशिष्ट "अ" में आवासीय भू–आवंटन हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र तथा दूसरा ग्राम पंचायत पीपड़ा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 24.09.1989।

परिशिष्ट "अ" में प्रार्थना पत्र की जांच समीक्षा पटवारी अथवा ग्राम सेवक द्वारा की जाती है। तो इस प्रार्थना पत्र की जांच किसी के भी द्वारा नहीं की गई। पटवारी अथवा ग्राम सेवक के इस पर हस्ताक्षर नहीं हैं। इसमें मात्र सरपंच का आवासीय भूखंड का कब्जा सुपुर्दगी का आदेश अर्थात पट्टा है। उस पर भी मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर हैं, किसी ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं हैं कि कोई आपत्ति आमंत्रित की गई हो, इसके संबंध में वार्ड पंचों से कोई जांच कराई गई हो। जो भी पंचायती राज नियम हैं उनके प्रावधानों की पालना की गई हो, ऐसा कहीं भी प्रकट नहीं हुआ है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ है कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए उक्त खाली भूमि का पट्टा रेस्पोंडेंट संख्या 3 को विक्रय कर दिया गया। तथा इस पत्रावली में ग्राम पंचायत पीपरड़ा की दिनांक 02.08.2024 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है जिसमें यह कहा गया है कि तलाशी के दौरान पट्टा पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है और कोई भी दस्तावेज पत्रावली पंचायत में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपलब्ध नहीं है। अर्थात इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पत्र से लिखे जाने से पूर्व दिनांक 17.01.2023 को ग्राम विकास अधिकारी पीपड़ा द्वारा ग्राम पंचायत की भू–आवंटन का प्रार्थना पत्र व पट्टे की प्रति उपलब्ध होना बताया जिसे इस न्यायालय को भेजा गया। अर्थात यहाँ पर जो विवादित पट्टा है वह बिना नियमों, प्रक्रिया की पालना करते हुए दिया गया है। तथा जिसे दिया गया है उसके द्वारा आवंटन शर्तों की पालना का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है तथा इसे अन्य को विक्रय भी कर दिया है। अतः विवादित पट्टा निरस्त किया जाना मैं न्यायोचित समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पीपरडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 4465 दिनांक 24.09.1989 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत पीपरडा को निर्णय की प्रति तथा उनके द्वारा भेजे गये ग्राम पंचायत की भू–आवंटन का प्रार्थना पत्र व पट्टे की प्रति पुनः लौटायी जावें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)